न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट, हापुड
उपस्थितः– उमाकान्त जिन्दल (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6234)
विशेष सत्र परीक्षण संख्या 479/2021

मु0अ0सं0 683/2021
सरकार बनाम धीरज सैनी
अन्तर्गत धारा : 376 भा0दं0सं0 ,
3(2)(v) एस0सी0एस0टी0एक्ट
थाना : हापुड नगर
जिला : हापुड़ ।

UPHP010048642021

दि0 26.03.2022

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। अभियुक्त धीरज सैनी की ओर से अर्न्तगत धारा 227 द0प्र0सं0 प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र दि0 12.11.2021 पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान विशेष लोक अभियेाजक को पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया ।

अभियुक्त की ओर से उन्मोचन प्रार्थनापत्र इन कथनो के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त केस में अभियुक्त के विरूद्ध विवेचक द्वारा विवेचना उपरान्त मु0अ0सं0 683@2021 अन्तर्गत धारा 376 भा0दं0सं0 व 3(2)(v) एस0सी0एस0टी0एक्ट थाना हापुड नगर , में आरोपपत्र प्रेषित किया गया है, जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है । परन्तु अभियुक्त के विरूद्ध धारा 376 भा0दं0सं0 ,व 3(2)(v) एस0सी0एस0टी0एक्ट का तत्व व तथ्य न होने के कारण कोई मामला नहीं बनता , क्योंकि वादिनी मुकदमा द्वारा कथित घटना का समय, दिनांक , स्थान नहीं बताया गया है और ना ही ऐसा कोई साक्ष्य केस डायरी पर संलग्न है जिससे यह तथ्य साबित होता हो कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा को शादी का झासा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाए हो । वादिनी मुकदमा द्वारा दी गयी तहरीर में यह तथ्य स्वीकार किया है कि वह अभियुक्त धीरज सैनी के साथ उसकी दोस्ती फेसबुक व जी–मेल के माध्यम से हुई थी तथा एक दूसरे से सहमति से प्यार से बिना किसी अवरोध के शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किए है । बालिग होने के बाद आपसी सहमति से बनाये गये यौन सम्बन्ध धारा 376 भा0द0ंस0 की परिभाषा में नहीं आता है । विभिन्न विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि प्रस्तुत मामले में धारा 375 , 376 भा0द0ंस0 के तत्व व तथ्य नहीं

बनते है । वादिनी मुकदमा ने प्रार्थी/अभियुक्त पर नाजायज दबाव बनाकर पैसे ऐंठने के लिए प्रस्तुत मामला लिखवाया है । प्रार्थी/अभियुक्त पर लगाया गया आरोप गलत व निराधार है , जिस कारण प्रार्थी/ अभियुक्त पर प्रस्तुत मामले का अपराध नहीं बनता है । अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त को इसी स्तर पर उन्मोचित करने की याचना की गयी है । समर्थन में माननीय उच्चतम/उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्थाए उदय बनाम कर्नाटक राज्य ए0आई0आर0 2003 एस0सी0 1639, महेश्वर टिग्गा बनाम झारखण्ड राज्य क्रिमिनल अपील सं0 635 सन 2020 , प्रमोद सुब्रहमन्यम बनाम महाराष्ट्र राज्य 2019(3) जे0आई0सी0 424 एस0सी0, सोनू उर्फ सुभाष कुमार बनाम उ0प्र0राज्य 2021(2) जे0आई0सी0 391 एस0सी0, उदधृत की गयी हैं , जिनका मैंने ससम्मान अवलोकन किया ।

उपरोक्त उन्मोचन प्रार्थनापत्र के विरूद्ध विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करते हुए मौखिक रूप से यह कथन किया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किए जाने हेतु प्रथम दृष्टया पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है । अभियुक्त को इस अपराध से उन्मोचित किए जाने का युक्तियुक्त आधार नहीं है , उन्मोचन प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये । समर्थन में माननीय उच्चतम/उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्थाए अजय गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य 2013(1) जे0आई0सी0 395 इला0, राजकुमार लहरिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2001(1) जे0आई0सी0 736 एस0सी0, पी0विजयन बनाम केरल राज्य व अन्य 2010(2) जे0आई0सी0 128 एस0सी0, राजमंगल कुशवाहा बनाम उ0प्र0 राज्य 2010(2) जे0आई0सी0 245 इला0 उदधृत की गयी हैं , जिनका मैंने ससम्मान अवलोकन किया ।

सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि इस मामले में वादिनी/पीडिता द्वारा थानाध्यक्ष हापुड कोतवाली को दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अभियुक्त धीरज सैनी,दीपांशी सैनी व पवन सैनी के विरूद्ध धारा 376,120–बी भा0दं0सं0 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया और बाद विवेचना अभियुक्त धीरज सैनी के विरूद्ध धारा 376 भा0दं0सं0, 3(2)(v)एस0सी0एस0टी0एक्ट के तहत आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया । जिस पर न्यायालय द्वारा समस्त अभियोजन प्रपत्रो का सम्यक् अवलोकन करने के उपरान्त संज्ञान लिया गया । प्रसंज्ञान लिए जाने के पश्चात अभियुक्त द्वारा यह उन्मोचन प्रार्थनापत्र आरोप विरचित होने के स्तर पर

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं । न्याय का यह सुनहरा सिद्धान्त है कि आरोप विरचन के समय इस न्यायालय को केवल प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ देखना होता है , बल्कि अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर संदेह की स्थिति विद्यमान होने पर भी आरोप विरचित किया जा सकता है । यहां अभियुक्त द्वारा अपने उन्मोचन का आधार यह बताया है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 376 भा0दं0सं0 ,व 3(2)(v) एस0सी0एस0टी0एक्ट का तत्व व तथ्य न होने के कारण कोई मामला नहीं बनता , क्योंकि वादिनी मुकदमा द्वारा कथित घटना का समय, दिनांक , स्थान नहीं बताया गया है और ना ही ऐसा कोई साक्ष्य केस डायरी पर संलग्न है जिससे यह तथ्य साबित होता हो कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा को शादी का झासा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाए हो । वादिनी मुकदमा द्वारा दी गयी तहरीर में यह तथ्य स्वीकार किया है कि वह अभियुक्त धीरज सैनी के साथ उसकी दोस्ती फेसबुक व जी–मेल के माध्यम से हुई थी तथा एक दूसरे से सहमति से प्यार से बिना किसी अवरोध के शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किए है । बालिग होने के बाद आपसी सहमति से बनाये गये यौन सम्बन्ध धारा 376 भा0द0सं0 की परिभाषा में नहीं आता है । वादिनी मुकदमा ने प्रार्थी/अभियुक्त पर नाजायज दबाव बनाकर पैसे ऐंठने के लिए प्रस्तुत मामला लिखवाया है । प्रार्थी/अभियुक्त पर लगाया गया आरोप गलत व निराधार है , जिस कारण प्रार्थी/ अभियुक्त पर प्रस्तुत मामले का अपराध नहीं बनता है ।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादिनी /पीडिता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु दी गयी अपनी तहरीर में ही यह स्पष्ट कथन किया है कि ''प्रार्थिनी की फेसबुक आई0डी0 पर पिछले दो वर्षो से धीरज सैनी पुत्र योगेश सैनी निवासी स्वर्गाश्रम रोड निकट सैनी डेरी हापुड ने पहले मुझसे फेसबुक पर दोस्ती की तथा बाद में शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने लगा । अब वर्तमान में धीरज सैनी काफी समय से प्रार्थिनी का शारीरिक शोषण करने के उपरान्त अपने माता पिता के द्वारा हमारी शादी से सहमत ना होने का बहाना लेते हुए मुझसे शादी करने से साफ इंकार कर रहा है तथा प्रार्थिनी द्वारा शादी करने का प्रयास किया जा रहा है । जिससे प्रार्थिनी व उसके परिवार की इज्जत को तार तार कर दिया है । प्रार्थिनी जब घर से किसी आवश्यक कार्य के लिए निकलती है , तो आस पास व मौहल्ले वाले आपत्तिजनक टिप्पणी करते है । उक्त प्रकरण में धीरज की बहन दीपांशी सैनी एवं भाई

पवन सैनी भी शामिल है । उक्त लोग समय समय पर मुझसे मिलते थे और शादी का आश्वासन देते थे । '' उक्त कथनो का समर्थन वादिनी द्वारा अपने बयान अर्न्तगत धारा 161 व 164 द0प्र0सं0 में भी किया गया है । वादिनी/पीडिता द्वारा अपने बयान अर्न्तगत धारा 164 द0प्र0सं0 में कथन किया गया है कि – '' मैं पिछले 2 वर्ष से धीरज सैनी को जानती हूं । धीरज से मेरी फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी तथा हम लोग आपस में बातचीत करने लगे । धीरज ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और हम शादी कर लेंगे । यह बोलकर धीरज ने मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये । मैंने मना किया तो वह बोला कि हम भागकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे और धीरज ने दो साल मेरे साथ ऐसे ही शारीरिक सम्बन्ध बनाये । जब मैंने शादी करने के लिए बोला तो धीरज ने कहा कि मेरे घ ारवाले गैर बिरादरी में शादी करने को नही मानेंगे । जब मैंने दबाव डाला तो धीरज ने कहा कि मैने चेारी से तुम्हारी अश्लील वीडियो बना ली है और अगर मुझे परेशान किया तो मैं वायरल कर दूंगा । मेरे घरवालों ने भी धीरज के घरवालेां से बातचीत की लेकिन वह लोग नहीं माने । धीरज ने मेरे साथ वीडियो वायरल करने की धमकी देकर भी कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाये तथा मेरी सारे समाज में बदनामी करा दी । धीरज ने मेरे और अपने फोटो अपने दोस्तो व मेरे परिवार में भी कुछ लोगो को भेज दिये । जिस कारण पूरे समाज में मेरी बदनामी हो गयी । ''इस स्तर पर बचाव पक्ष की ओर से जो भी तर्क उठाये गये हैं , उस सम्बन्ध में पत्रावली पर सम्पूर्ण साक्ष्य आने के उपरान्त ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है । इस स्तर पर अभियुक्त पर आरोप विरचित किए जाने के लिए न्यायालय को प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ देखना होता है। इस स्तर पर न तो मामले की गहराई में जाने की आवश्यकता होती है , न ही साक्ष्य का गुणदोष पर विश्लेषण करना होता है । अभियुक्त द्वारा अपने उन्मोचन प्रार्थनापत्रों में जो आधार लिए गए हैं, उस सब के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा पत्रावली पर सम्पूर्ण साक्ष्य आने के उपरान्त मामले के अन्तिम निस्तारण के समय ही निष्कर्ष निकाला जा सकेगा । इस सम्बन्ध में **माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2009(1)JIC SC पलविन्दर सिंह बनाम बलविन्दर सिंह** के मामले में यह मत व्यक्त किया है कि ''आरोप विरचन के समय न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता बहुत ही सीमित है । इस स्तर पर साक्ष्य का मूल्यांकन अनावश्यक है । मात्र मजबूत संदेह के आधार पर ही आरोप विरचित किया जाना न्यायसंगत है ।'' **माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2008(3)CCSC SC सांधी ब्रदर्स बनाम संजय चौधरी** के

मामले में यह मत व्यक्त किया है कि ''आरोप विरचन के समय आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर प्रथम दृष्टया मामले का परीक्षण सिद्धान्त लागू होगा – यहां तक कि अपराध कारित करने और अभियुक्त की संलिप्तता की दृढ आशंका भी – आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त है । '' इसी प्रकार **माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्ण पीठ के द्वारा 2005(1)JIC 289 उडीसा राज्य बनाम देवेन्द्र नाथ** के मामले में यह अभिमत व्यक्त किया है कि'' आरोप विरचन के समय अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत सामग्री विचार में नहीं लायी जा सकती है। ''

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी विधि व्यवस्थाओं उदय बनाम कर्नाटक राज्य ए0आई0आर0 2003 एस0सी0 1639, महेश्वर टिग्गा बनाम झारखण्ड राज्य क्रिमिनल अपील सं0 635 सन 2020 , प्रमोद सुब्रहमन्यम बनाम महाराष्ट्र राज्य 2019(3) जे0आई0सी0 424 एस0सी0, सोनू उर्फ सुभाष कुमार बनाम उ0प्र0राज्य 2021(2) जे0आई0सी0 391 एस0सी0 के ससम्मान अवलोकन से प्रकट होता है कि उपरोक्त विधि व्यवस्थाएं इस मामले के तथ्य व परिस्थितियों में पूर्ण रूप से लागू नहीं होती क्योंकि उक्त विधि व्यवस्थाओं मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए पत्रावली में निर्णय होने के पश्चात मामले के अन्तिम निस्तारण के समय अपना निष्कर्ष पारित किया था , जबकि इस न्यायालय के समक्ष लम्बित उपरोक्त मामला आरोप विरचन के स्तर पर लम्बित है जिसमें न्यायालय को मात्र प्रथम दृष्टया मामला बनते हुए देखना है । इस स्तर पर न्यायालय को साक्ष्य का गुण दोष पर विश्लेषण नहीं करना है । अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गयी विधि व्यवस्था राजकुमार लहरिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2001(1) जे0आई0सी0 736 एस0सी0 के ससम्मान अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि ''आरोप विरचन के स्तर पर साक्ष्य का गुण–दोष पर विश्लेषण किया जाना संभव नहीं है ।''

पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा 376 भा0दं0सं0 , 3(2)(v) एस0सी0एस0टी0एक्ट का मामला पाते हुए आरोपपत्र पर विचारण हेतु संज्ञान लिया गया है । उपरोक्त वर्णित तमाम विवेचना के आधार पर स्पष्टतः अभियुक्त की ओर प्रस्तुत किए गए उन्मोचन हेतु प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है । अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किए जाने हेतु

साक्ष्य पत्रावली पर पर्याप्त है । अतः अभियुक्त धीरज सैनी की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त धीरज सैनी की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है । अभियुक्त धीरज सैनी धारा 376 भा0दं0सं0 , 3(2)(v) एस0सी0एस0टी0एक्ट के अधीन आरोप विरचन हेतु न्यायालय में दि0 07.04.2022 को पेश हो ।

(उमाकान्त जिन्दल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।